25 पत्रावली पेश। आवेदक प्रार्थी उपस्थित। मूलवाद का निस्तारण हो जाने से अवमानना याचिका चलाया जाना न्यायोचित नहीं है अतः पत्रावली निर्णीत समझी जाकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]